अनुस्मारक-1

सं.ई-13011/10/2020-ति.प्र.रि./हिंदी/976-1020

भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग
केंद्रीय जल आयोग (हिंदी अनुभाग)

कमरा संख्या - 906 (दक्षिण),
सेवा भवन, राम कृष्ण पुरम,
नई दिल्ली -110066
दिनांक 30 जून, 2021

कार्यालय ज्ञापन

विषय: 30 जून, 2021 को समाप्त तिमाही की राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग संबंधी प्रगति रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र में भरकर समय पर भिजवाने के संबंध में।

कृपया 30 जून, 2021 को समाप्त तिमाही की राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग संबंधी प्रगति रिपोर्ट **निर्धारित प्रपत्र में भाग-I** सही-सही भरकर यथाशीघ्र हिंदी अनुभाग को भिजवा दी जाए ताकि केन्द्रीय जल आयोग (मुख्यालय) की तिमाही प्रगति रिपोर्ट संकलित कर मंत्रालय को भिजवाई जा सके।

2. आपसे अनुरोध है कि उक्त तिमाही प्रगति रिपोर्ट हिन्दी अनुभाग को **12 जुलाई, 2021** तक **hindisec-cwc@gov.in** पर अवश्य भिजवा दी जाए।

3. रिपोर्ट भरते समय निम्नलिखित बिन्दुओं पर ध्यान दें:-

क्र.सं.	मद	टिप्पणी
1.	राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत जारी कागजात	ध्यान रहे कि धारा 3(3) के अंतर्गत संकल्प, सामान्य आदेश, नियम, अधिसूचनाएं, प्रशासनिक व अन्य रिपोर्ट, सरकारी कागजात, संविदा, करार, अनुज्ञप्तियाँ, अनुज्ञा-पत्र, निविदा सूचनाएं अनिवार्यतः द्विभाषिक रूप में, अंग्रेज़ी और हिंदी दोनों में जारी किए जाएं। इसके अलावा अन्य पत्राचार इसमें शामिल न किया जाए।
2.	हिंदी में प्राप्त पत्र (राजभाषा नियम-5)	ध्यान रहे कि राजभाषा नियम-5 के तहत हिंदी में प्राप्त सभी पत्रों का उत्तर केवल हिन्दी में ही दिया जाता है।

3.	अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में दिए जाने की स्थिति	केवल 'क' एवं 'ख' क्षेत्र में स्थित कार्यालयों के लिए।
4.	भेजे गये मूल पत्रों का ब्योरा	'क' क्षेत्र से 'क' क्षेत्र को लक्ष्य 100% है। 'क' क्षेत्र से 'ख' क्षेत्र को लक्ष्य 100% है । 'क' क्षेत्र से 'ग' क्षेत्र को लक्ष्य 65% है ।
5.	तिमाही के दौरान फाइलों/दस्तावेजों पर लिखी गई टिप्पणियां।	'क' क्षेत्र में हिंदी में टिप्पणियां लिखने का निर्धारित लक्ष्य 75% है।
6.	आंकड़ों का जोड़	यह सुनिश्चित करें कि आंकड़ों का जोड़ सही है।

भवदीया,

30/6/2021

(रजिन्दर पॉल)
उप निदेशक (राजभाषा)
दूरभाष: 011-29583720,
ई मेल: hindisec-cwc@gov.in

1. निदेशक, नदी प्रबंध समन्वय / जल आयोजन एवं परियोजना/ अभिकल्प एवं अनुसंधान निदेशालय केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली।
2. सभी अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव, केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली।

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

1. अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग के प्रधान निजी सचिव।
2. सभी सदस्य, केन्द्रीय जल आयोग के प्रधान निजी सचिव।
3. सचिव, केन्द्रीय जल आयोग के प्रधान निजी सचिव।
4. संयुक्त सचिव, केन्द्रीय जल आयोग के प्रधान निजी सचिव।